दिनांक 19.10.2016 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में नॉर्थ एवं साउथ बिहार में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में विद्युत कम्पनी के पदाधिकारियों, सभी जिला के जिला पदाधिकारियों एवं सभी प्रमण्डलीय आयुक्त के साथ सम्पन्न विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

मुख्य सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारियों एवं विद्युत कम्पनी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा बताया गया कि जिले में उपभोक्ताओं की संख्या, बिलिंग प्रतिशत, बिल वितरण और राजस्व वसूली की अद्यतन जानकारी रहनी आवश्यक है।

विद्युत आपूर्त्ति के अनुपात में राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही है। अतः विद्युत आपूर्त्ति के अनुपात में राजस्व संग्रहण हेतु सभी कारगर कदम उठाया जाय। साथ ही मुख्य सचिव द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गयेः–

1. सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वास्तव में जितनी बिजली की आपूर्त्ति जिले में होती है उसी अनुपात में राजस्व वसूली करना सुनिश्चित किया जाय।
2. सभी जिलाधिकारी को बताया गया कि मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के सर्वे कार्य के लिए बी0पी0एल0 का आंकड़ा सरकार द्वारा दिया गया है न कि बिजली कम्पनी द्वारा। अतः आंकडों का क्रॉस–भेरिफिकेशन निश्चित रूप से किया जाय।
3. हाउस होल्ड सर्वे का काम ऊर्जा विभाग द्वारा शुरु किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों को इस कार्य के लिए लगाया गया है, उन्हें दिनांक 28.10.2016 यानि दीवाली के पहले उन्हें इस कार्य से हटा लिया जायेगा। इसलिए सर्वे हर स्थिति में 28.10.2016 तक पूरा कर लिया जाय। उसके बाद बचे हुए सर्वे ऊर्जा विभाग को स्वयं कराना होगा।
4. जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा बताया गया कि उनके जिले में बाढ़ के कारण सर्वे के काम में कुछ बाधा आई थी, अब इसमें गति लाकर इस कार्य को ससमय पूरा कर लिया जायेगा।
5. जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि 42.2 प्रतिशत सर्वे का कार्य हुआ है। उनके जिले में दियारा इलाका में बसावट दूर–दूर पर है, इसलिए कार्य में देरी हुई है। शत्–प्रतिशत लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा।
   निर्देश दिया गया कि 28.10.2017 तक सर्वे कार्य पूरा करा लिया जाय।
6. खगड़िया के जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ लखीसराय की तरह स्थिति है। बाढ़ के कारण सर्वे कार्य में देर हुई है। कार्य समय पर पूरा करा लिया जायेगा।
   निदेश दिया गया कि नाव से सर्वे टीम को भेजकर सर्वे का काम दिये गये समय–सीमा तक पूरा करा लिया जाय।
7. जिलाधिकारी, वैशाली द्वारा बताया गया कि जिले के कुछ ब्लॉक में सर्वे का काम छूटा हुआ है। कुछ ब्लॉक के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कहते हैं कि उनके यहाँ सर्वे का कार्य पूरा हो गया है तथा इसका सत्यापन भी किया गया है।

निदेश दिया गया कि सत्यापन बिजली कम्पनी के सहायक विद्युत् अभियन्ता और कनीय विद्युत् अभियन्ता को भी करना है।

8. जिलाधिकारी, भागलपुर द्वारा बताया गया कि अभीतक लगभग 2.57 लाख हाउसहोल्ड का सर्वे हो गया है। 28.10.2016 तक 100 प्रतिशत सर्वे करा लिया जायेगा।
9. समीक्षा में कुछ जिलों का Billing Efficiency खराब पाया गया।
   सभी जिला को निदेश दिया गया कि मीटर रीडिंग, बिल वितरण का कार्य कम–से–कम 90–95 प्रतिशत तक करना है तभी राजस्व भुगतान का प्रतिशत बढ़ेगा।
10. जिलाधिकारी, शेखपुरा ने बताया कि उनके जिले में Billing efficiency 33 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर0आर0एफ0 का परफोरमेंस काफी खराब है। शेखपुरा के विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में Rural Revenue Franchisee नहीं हैं।
    निदेश दिया गया कि ग्रामीण इलाकों में भी उपभोक्ताओं द्वारा बिजली का उपयोग किया जा रहा है। अतः कम–से–कम 90 प्रतिशत तक Billing efficiency में वृद्धि किया जाय। जिस आर0आर0एफ0 का परफोरमेंस खराब है, उन्हें हटाकर नये आर0आर0एफ0 रखा जाय।
11. औरंगाबाद के जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र में 18000 उपभोक्ता हैं और 10000 की बिलिंग हो रही है। एजेंसी के द्वारा मीटर रीडर कम रखा गया है। विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 18 हजार उपभोक्ता में से अभीतक एजेंसी द्वारा 14 हजार उपभोक्ताओं को ही trace कर पाये हैं।
    निर्देश दिया गया कि सभी उपभोक्ताओं को एक महीने के अंदर Trace करना है तथा Ghost consumer को पहचान कर उसे हटाना है।

<u>प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को दिये गये निदेश–</u>

12 मुख्यमंत्री विद्युत् सम्बन्ध निश्चय योजना की निविदा का कार्य नवम्बर 2016 तक करने का लक्ष्य है, जिसके लिए टेन्डर निर्गत किया जा चुका है। टेन्डर अवार्ड करने के लिए हाउसहोल्ड सर्वे आवश्यक है। अतः हाउसहोल्ड सर्वे के लिए 28.10.2016 तक का लक्ष्य दिया गया है।

13 शेखपुरा के जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ बिलिंग 74 प्रतिशत हो रही है।
निर्देश दिया गया कि शहरी क्षेत्रों में जितनी बिजली दिया जा रहा है उसके अनुपात में 100 प्रतिशत बिलिंग और बिल वितरण कराया जाय और राजस्व संग्रहण किया जाय।

14 सभी विद्युत् कार्यपालक अभियन्ताओं को निर्देश दिया गया कि मीटर रीडिंग एजेंसी जिन विद्युत् उपभोक्ताओं के घरों को खोज नहीं पा रहे हैं, वहाँ कनीय विद्युत् अभियन्ता मीटर रीडर के साथ जाकर जांच करें।

15 जिलाधिकारी, नालन्दा द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में मीटर रीडिंग अच्छी है; परन्तु Billing Efficiency अच्छी नहीं है। शहरी क्षेत्रों में Disconnection का अभियान भी चलाया जायेगा।

16 विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता, बिहारशरीफ द्वारा कहा गया कि उनके प्रमण्डल अन्तर्गत उर्जा लेखांकन सही नहीं हो पा रहा है। Boundary Meter नहीं रहने के कारण बिहारशरीफ प्रमण्डल में जितनी बिजली आपूर्ति की जाती है, उसी बिजली में से राजगीर प्रमण्डल को भी बिजली आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार बिहारशरीफ प्रमण्डल को अधिक बिजली आपूर्ति दिखाई जाती है।

17 विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि हाउसहोल्ड सर्वे का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसे पूरा कर लिया जायेगा। औरंगाबाद में बिलिंग 82 प्रतिशत हो रही है।

विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता ने बताया कि उनके प्रमण्डल में ग्रामीण क्षेत्र आता है और Billing Collection 67 प्रतिशत है।

18 जिलाधिकारी, वैशाली द्वारा कहा गया कि इस प्रमण्डल में तीन कनीय विद्युत् अभियन्ता की कमी है जिसके कारण कार्य में बाधा आ रही है।

बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर सभी जगह कनीय विद्युत् अभियन्ताओं का पदस्थापन कर दिया जायेगा।

19 जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि एक सहायक विद्युत् अभियन्ता एक महीना 10 दिन से अनुपस्थित हैं।

विशेष कार्य पदाधिकारी (मानव संसाधन/प्रशासन) को निर्देश दिया गया उनकी जगह पर दूसरे सहायक विद्युत् अभियन्ता को पदस्थापित किया जाय और उनके विरुद्ध कार्रवाई करें।

20 जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि विद्युत् आपूर्ति प्रशाखा, उदाकिशुनगंज के कनीय विद्युत् अभियन्ता कार्य नहीं करते हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा गया है।

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक द्वारा विशेष कार्य पदाधिकारी (मा०सं०/प्र०) को निदेश दिया गया कि इस मामले पर कार्रवाई किया जाय।

21 जिला पदाधिकारी, मधेपुरा ने कहा कि पत्थरघट का फीडर अलग करने के लिए भी लिखा गया है।

निदेशक (परियोजना) द्वारा कहा गया कि अक्टूबर 2016 में ही फीडर को अलग करवा दिया जायेगा।

<u>प्रबंध निदेशक, संचरण, नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा बताया गया कि</u>:–

22 जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा बताया गया ग्रामीण क्षेत्र में आर0आर0एफ के पास Bluetooth Printer नहीं रहने के कारण 20 प्रतिशत sport billing हो रही है।

प्रबन्ध निदेशक द्वारा कहा गया कि Bluetooth Printer शीघ्र खरीदने हेतु आर0आर0एफ को कहा जाय।

23 बकायेदार उपभोक्ताओं के विरूद्ध Disconnection Drive चलाया जाय।

24 सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि एक महीने के अन्दर सभी Ghost Consumers की खोजकर उन्हें बिलिंग सायकल में लाया जाय। इसकी जवाबदेही विद्युत कार्यपालक अभियंता की होगी।

25 सभी जिलाधिकारी को बताया गया कि नवम्बर, 2016 तक सभी जगह स्पॉट बिलिंग शुरू हो जायेगा।

विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा बैठक में रखे गये महत्वपूर्ण बिन्दु :–

26. जिलाधिकारी, कैमूर ने बताया कि उनके यहाँ कार्यरत एजेंसी ECI का Performance अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि मोतिहारी और औरंगाबाद में EMC, भागलपुर, सीतामढ़ी एवं कटिहार में Energo, रोहतास और कैमूर में ECI एवं जहानाबाद, अरबल, लखीसराय एवं शेखपुरा में कार्यरत चडलवाड़ा एजेंसी का Performance Worst है। इनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

27.जिलाधिकारी, मधेपुरा ने बताया कि सिंहेश्वर में चार ब्लॉक है। अतः पुनर्गठन करते हुए चार प्रशाखा सृजित करने हेतु अनुरोध किया गया।

28 जिलाधिकारी, सुपौल ने बताया कि कनीय लेखा लिपिक की कमी के कारण विपत्र सुधार में कठिनाई हो रही है। अतः कनीय लेखा लिपिक का पदस्थापन करने का अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त जिले में अविलम्ब कनीय लेखा लिपिक का पदस्थापन करने का निदेश दिया गया।

29 जिलाधिकारी, जमुई द्वारा कहा गया कि जमुई विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल में विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता (परियोजना) का पदस्थापन नहीं किया गया है जिससे परियोजना कार्य में अपेक्षित तेजी नहीं आ रही है।

निदेशक (परियोजना) द्वारा बताया गया कि भागलपुर जिले के विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता (परियोजना) को ही जमुई जिले का परियोजना कार्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक द्वारा निदेशक (परियोजना) को निर्देश दिया गया कि जमुई जिले में अलग से विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता (परियोजना) का पदस्थापन किया जाय।

30 जिलाधिकारी, कैमूर द्वारा बताया गया कि हाउसहोल्ड सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है और सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। कुल 84 हजार विद्युत् कनेक्शन देना है। लेकिन एजेंसी के द्वारा एक महीने में मात्र 1200 कनेक्शन ही दिया जा रहा है। इस प्रकार लक्ष्य के अनुसार कनेक्शन का कार्य पूरा होने की सम्भावना नहीं है। शहरी क्षेत्र में Aerial Bunch Cable लगाना है; परन्तु एजेंसी के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। मेटेरियल की कमी बताई जा रही है।

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक द्वारा बताया गया कि M/s Energo, M/s EMC and M/s ECI का ग्रामीण विद्युतीकरण में सबसे खराब है। उनकी जगह पर दूसरी एजेंसी से कार्य कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाली एजेंसी ही बी०पी०एल० हाउसहोल्ड को विद्युत् कनेक्शन देगी। ए०पी०एल० परिवारों को कम्पनी की ओर से कनेक्शन दिया जायेगा।

31 जिला पदाधिकारी, कैमूर ने बताया कि नखोदर में एक पी०एस०एस० बनाना था किन्तु उक्त जगह पर नहीं रहने के कारण दूसरे जगह जमीन अच्छी है। उस जगह पर पहुंचने के लिए दो किलोमीटर कच्ची सड़क है। ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध कर पहुंच रोड पक्की करा ली जायेगी।

धन्यवाद के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही समाप्त हुई।

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– प्र०2/विविध वि०कं०–18/13– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांक– प्र०2/विविध वि०कं०–18/13–3305 पटना, दिनांक– 24/11/2016

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि०, पटना/प्रवंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/16
सरकार के उप सचिव